वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.09.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",जागरूक एक्सप्रेस,स्वतंत्र चेतना, परफेक्ट मिशन, जनसंदेश टाइम्स, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 26.09.2024

ई-आफिस पर ई फाइल/ ई-रिसीट में वीडीए प्रदेश में अव्वल

वाराणसी। ई-ऑफिस पर ई फाइल/ ई-रिसीट का व्यवहरण करने में वीडीए ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शासकीय कार्य-पद्धति को 'पेपरलेस ऑफिस' में परिवर्तित करके शासकीय कार्य संचालन क्षमता में सार्थक सुधार के लक्ष्य के साथ समस्त विभागों/कार्यालयों में ई-आफिस प्रणाली कार्यान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने 05 सितम्बर, 2024 तक समस्त मण्डलों/जनपदों/नगर निगमों/विकास प्राधिकरणों में अनिवार्य रूप से ई-ऑफिस को लागू गो लीव करने एवं ई-ऑफिस पर ई-फाइल/ई-रिसीट का व्यवहरण करते हुए कार्यालयों को पेपर-लेस किया जाना सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया गया था।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु मंडलायुक्त एवं वीडीए उपाध्यक्ष के द्वारा वीडीए आफिस में ई-आफिस लागू किये जाने हेतु जून माह से कारवाई प्रारम्भ कर दी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप ई-ऑफिस प्रणाली को लागू गो लीव करने वाला वीडीए प्रदेश का प्रथम प्राधिकरण बन गया है। इसके पश्चात करते वाराणसी विकास प्राधिकरण में ई-ऑफिस पर ई- फाइल/ई-रिसीट का व्यवहरण प्रारम्भ किया गया है। यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद विभाग ने 15 सितंबर तक 57 नयी पत्रावलियों को बनाया है तथा 187 पत्रावलियों का व्यवहरण किया है। इसी प्रकार 116 रिसीट बनाते हुए 382 रिसीट का व्यवहरण भी किया गया है। ई-आफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है। जिसमें ई-ऑफिस एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। जिसमें फाइलों को ट्रैक किया जा सकता है तथा ई-आफिस में डेटा को सुरक्षित और गोपनीय रखते हुए नियमित कामकाज को स्वचालित किया जा सकता है। यह एक ऐसा एप्लीकेशन है। जिसका मकसद सरकारी कामकाज को सरल, पारदर्शी, और ज्यादा प्रभावी बनाना है।

यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है। ई-आफिस व्यवस्था लागू होने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आती है और इससे सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ती है। इससे सरकारी कामकाज में समय की बचत होती है और कर्मचारियों की ऊर्जा और समय की बचत होती है। वीपीएन एवं मल्टी लेयर सिक्योरिटी के कारण डेटा सुरक्षित रहता है। इसके माध्यम से सरकारी कामकाज की निगरानी की जा सकती है। ई-आफिस से कामकाज में गति और दक्षता बढ़ती है। इसके कारण विभागों को तेजी से फैसले लेने में मदद मिलती है। ई-ऑफिस यह एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का एक माध्यम है तथा गति और दक्षता विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है। इससे सिस्टम के जरिये जहां सरकारी काम में वक्त की बचत होगी, वहीं सरकारी काम में पारदर्शिता भी हो जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधिश–दि0 26.09.2024

अपर सचिव डा0 गुडाकेश शर्मा ने की जोन-1 की समीक्षा बैठक

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार में अपर सचिव डा0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर एवं सिकरौल में विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-1,22,77,915.00 जमा कराया गया है, परन्तु अभी भी कुल 67 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 3,31,23,893.00 बकाया अवशेष है, जिसे विलम्बतम 15 दिवस में जमा कराने हेतु फील्ड स्टॉफ एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया है।ङ स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने के भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। ङजन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ बिधिसंगत रूप से ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है।उक्त समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव, परमानन्द यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी, सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियन्ता, अतुल मिश्रा सहित भवन लिपिक एवं फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 26.09.2024

वीडीए अपर सचिव ने जोन 1 की समीक्षा बैठक की

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार में बुधवार को अपर सचिव डा0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन–1 की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन–1 के वार्ड शिवपुर एवं सिकरौल में विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0–1,22,77,915.00 जमा कराया गया है, परन्तु अभी भी कुल 67 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 3,31,23,893.00 बकाया अवशेष है, जिसे विलम्बतम 15 दिवस में जमा कराने हेतु फील्ड स्टॉफ एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया है।

स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने के भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ बिधिसंगत रूप से ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है।

बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही का दिया निर्देश

उक्त समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव, परमानन्द यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी, सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियन्ता, अतुल मिश्रा सहित भवन लिपिक एवं फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

जागरूक एक्सप्रेस–दि0 26.09.2024

वीडीए में लंबित शमन मानचित्रों की हुई समीक्षा

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में बुधवार को सभागार में अपर सचिव डा० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर एवं सिकरौल में विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-1,22,77,915.00 जमा कराया गया है, परन्तु अभी भी कुल 67 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 3,31,23,893.00 बकाया अवशेष है, जिसे विलम्बतम 15 दिवस में जमा कराने हेतु फील्ड स्टॉफ एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही

करने के भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया हैं एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.09.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार में अपर सचिव डा0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन–1 की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों

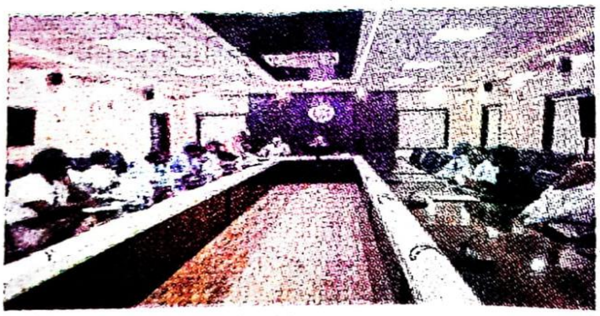

की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन–1 के वार्ड शिवपुर एवं सिकरौल में विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0–1,22,77,915.00 जमा कराया गया है, परन्तु अभी भी कुल 67 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 3,31,23,893.00 बकाया अवशेष है, जिसे विलम्बतम 15 दिवस में जमा कराने हेतु फील्ड स्टॉफ एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने के भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/बिधिसंगत रूप से ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। उक्त समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव, परमानन्द यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी, सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियन्ता, अतुल मिश्रा सहित भवन लिपिक एवं फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

स्वतंत्र चेतना–दि0 26.09.2024

वीडीए उपाध्यक्ष ने जनशिकायतों के गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु दिया दिशा निर्देश

स्वतंत्र चेतना

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार में अपर सचिव डा0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन.1 की समीक्षा बैठक की गयी।

बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन.1 के वार्ड शिवपुर एवं सिकरौल में विगत एक सप्ताह में शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0.1,22,77,91.00 जमा कराया गया है। परन्तु अभी भी कुल 67 बकायेदारों के सापेक्ष कुल रू0 3,31,23,893.00 बकाया अवशेष है, जिसे विलम्बतम 15 दिवस में जमा कराने हेतु फील्ड स्टॉफ एवं अवर अभियन्ता को निर्देश दिया गया है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वालों निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने के भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का प्राथमिकता पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही बिधिसंगत रूप से ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है।

उक्त समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव, परमानन्द यादव, नगर नियोजक प्रभात कुमार, जोनल अधिकारी, सिंह गौरव जयप्रकाश एवं अवर अभियन्ता, अतुल मिश्रा सहित भवन लिपिक एवं फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।